

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 18.09.25

क्रमांक रीडर/2025/ 8353

प्रार्थीगण
1 देराराम 2 जेताराम 3
प्रधानराम 4 फूसराम
पिसरान मेहराराम जाति
जाट निवासी लेगो की
ढाणी, कगाऊ तहसील व
जिला बाडमेर।

बनाम

अप्रार्थीगण
1 चूनाराम 2 दमाराम 3 भैराराम पिसरान
मोडाराम 4 दीपाराम पुत्र जेताराम 5 पारू
देवी पत्नि जेताराम 6 मंगलाराम 7
मोटाराम पिसरान जेताराम जाति जाट
लेगो की ढाणी, कगाऊ तहसील व जिला
बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 337/2025

दिनांक- 10/09/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा लेगो की ढाणी पटवार हल्का कगाऊ तहसील व जिला बाडमेर के
खसरा संख्या 455/354 रकबा 5.2042 हैक्टर व खसरा संख्या 495/354 रकबा 16.3897
हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार
बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व
अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी
फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.
08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये
1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर
अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,
बाडमेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 8354-57

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाडमेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कगाऊ तहसील बाडमेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण देराराम पुत्र मेहराराम जाति जाट निवासी लेगो की ढाणी, कगाऊ तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण अमराराम पुत्र मोडाराम जाति जाट निवासी लेगो की ढाणी, कगाऊ तहसील व जिला बाडमेर।

दिनांक- 18.09.25

उपखण्ड अधिकारी,
बाडमेर